

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	बद्रोदान आशिया राउमावि. खादकली, खिवसर नागौर	भूगोल	15.11.58	30.11.18
2	बगराज बेनीवाल राउमावि. 22 एनटीआर, नोहर हनुमानगढ़	भूगोल	25.08.58	31.08.18
3	भवर लाल मुण्डेल राउमावि. गवालू नुन्डवा नागौर	भूगोल	09.12.58	31.12.18
4	गुरदयाल शर्मा राउमावि. खारिया मीठापुर वार्ड न.2 जौधपुर	भूगोल	08.02.59	28.02.19
5	इन्द्रसिंह राउमावि. बसाई नवाब धौलपुर	भूगोल	30.06.58	30.06.18
6	लालू नारायण शर्मा राउमावि. रागापुर, भीलवाड़ा	भूगोल	13.03.59	31.03.19
7	मदन लाल शर्मा राउमावि. कनवालियास भीलवाड़ा	भूगोल	23.10.58	31.10.18
8	निरजन लाल राउमावि. ओउ डीग भरतपुर	भूगोल	16.10.58	31.10.18
9	राधेश्याम राउमावि. सरहेता तिनारा अलवर	भूगोल	24.03.59	31.03.19
10	सुधा सिधवी राउमावि. श्रीवालाजी नागौर	राजस्थानी	03.09.58	30.09.18
11	भगवती लाल मीना राउमावि. उठैल प्रतापगढ़	समाजशास्त्र	15.09.58	30.09.18
12	विलियमसन राउमावि. केशरपुर अलवर	समाजशास्त्र	26.10.58	31.10.18
13	सधुवाल राउमावि. श्रीराम स्टेडियम बारां	संगीत	12.09.58	30.09.18
14	वलवीर सिंह राउमावि. डाढण फतेहपुर सीकर	शारीरिक शिक्षक	10.02.59	28.02.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट- वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर


25-07-2018

क्रमांक.शिविरा/माध्य/सस्था/सी-5/ सेवानिवृत्त /2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 4 सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक)
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का 50 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अन्तिम अदय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 9 मि.जी. एवं रक्षित पत्रावली।

दिनांक


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय- आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेन्शन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत श्रीमती अमृत कौर जोशी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि चांधन, जैसलमेर ने दिनांक 09.05.2018 को नोटिश प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। जिनकी जन्म तिथि 13.04.1960 है।

श्रीमती अमृत कौर जोशी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि चांधन, जैसलमेर ने 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करती है। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृती की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्रीमती अमृत कौर जोशी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि चांधन, जैसलमेर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक 25/07/2018

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.सेनि/31901/2011
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग -----
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांधन, जैसलमेर
6. श्रीमती अमृत कौर जोशी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि चांधन, जैसलमेर
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी संस्थापन सी अनुभाग
9. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री रामेश्वरलाल मीणा, प्रधानाध्यापक राबामावि ईटून्दा -भीलवाड़ा में कार्यरत थे, जिनकी जन्मतिथि 03.09.63 है जिनका दिनांक 12.5.2018 को राज्य सेवा में रहते स्वर्गवास हो चुका है। इनकी राज्य सेवाएँ दिनांक 12.05.2018 से समाप्त की जा चुकी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री रामेश्वरलाल मीणा, प्रधानाध्यापक राबामावि ईटून्दा -भीलवाड़ा, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीनच /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/सेवासमाप्त/2018

दिनांक : 25-07-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय), भीलवाड़ा
4. संबंधित कोषाधिकारी,
5. प्रधानाध्यापक राबामावि ईटून्दा -भीलवाड़ा
6. आश्रित श्री रामेश्वरलाल मीणा, प्रधानाध्यापक राबामावि ईटून्दा -भीलवाड़ा
7. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर